

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश एवं
राज्यांश राशि3/यो0-28/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश 32
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 20/12/18

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5884.90 लाख (रु. अठारह करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार) एवं राज्यांश राशि रु. 41858.53 (रु. चार सौ अठारह करोड़ अठारह लाख तिरपन हजार) यानी कुल रु. 47743.43 (रु. चार सौ सतहत्तर करोड़ तैतालीस लाख तैतालीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17, पत्रांक 4069 दिनांक 08.12.17 एवं पत्रांक 5781 दिनांक 14.12.2018 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 03 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 351538.41 लाख रु (तीन हजार पांच सौ पंद्रह करोड़ अड़तीस लाख एकतालीस हजार रु0) की स्वीकृति दी गयी है। प्रथम अनुपूरक से विभागीय पत्रांक 26 दिनांक 24.08.2018 द्वारा 79719.28 लाख रु० (सात सौ सनतान्वे करोड़ उन्नीस लाख अठारह हजार) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5884.90 लाख (रु. अठारह करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार) एवं राज्यांश राशि रु. 41858.53 (रु. चार सौ अठारह करोड़ अठारह लाख तिरपन हजार) यानी कुल रु. 47743.43 (रु. चार सौ सतहत्तर करोड़ तैतालीस लाख तैतालीस हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	विषय शीर्ष	PFM ; Code	मूल बजट उपबन्ध
(राशि लाख में)					
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि					
1	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ आई०सी०डी०एस० (51-2235021020222)	60:40	0222.2003	928	303.13
2	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (51-2235021020225)	60:40/80:20	0225.0201,13 01,2003,2101 ,2601,2802	1202	5407.44
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मति, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020208)	75:25/60:40	0208.2701	9281	174.33
योग:-1 (रु. अठारह करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार)					5884.90

-2-

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि					
4	पूरक पोषाहार (51-2236021010303)	50:50	0303.2103	9281	37300.00
5	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020322)	60:40	0322.2003	9281	464.63
6	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020325)	60:40/80:2 0	0325.2101	1202	768.36

c/c

7	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030325)	60:40	0325.3106	9198	2700.00
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मति, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020308)	75:25/60:40	0308.2701, 5301	9281	625.54
योग:-2 (रू. चार सौ अठारह करोड अठावन लाख तिरपन हजार)					41858.53
कुल (योग 1+2) :- (रू. चार सौ सतहत्तर करोड तैतालीस लाख तैतालीस हजार)					47743.43

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018, पत्रांक 868/वि0 दिनांक 10.12.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 13/टि0 पर दिनांक 12.12.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा इस राशि का व्यय उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वसभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 32 1...20/12/18.../दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 32

1...20/12/18.../दिनांक-

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 32

1...20/12/18.../दिनांक-

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (मु0)